

प्रेषक,

प्रांजल यादव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
मेरठ मण्डल,  
मेरठ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2019

विषय: अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-1286/15-245/2016-18, दिनांक 25-02-2019, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-20(27)2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) किये जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से आयुक्त, मेरठ मण्डल को 22,500/- (रू0 बाईस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि 30प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत संगत आदेशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है। धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित दम्पति उक्त नियमावली के अन्तर्गत पात्रता के श्रेणी में आते हैं।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखा मिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- मण्डलायुक्त, मेरठ द्वारा पात्र दम्पति को स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करते समय दिनांक 10-03-2019 से प्रभावी चुनाव की आदर्श आचार संहिता में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों का भी ध्यान रखा जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रांजल यादव  
विशेष सचिव।

संख्या-5/2019/94(1)/चालीस-2019-बजट(6)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) जिलाधिकारी, मेरठ।
- (3) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (4) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
- (5) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
- (7) गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।